



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3076]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 6, 2018/श्रावण 15, 1940

No. 3076]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 6, 2018/SHRAVANA 15, 1940

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2018

का. आ.3871(अ).— प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि एंटीगुआ और बरबुडा के संबंध में प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के प्रावधान, अध्याय III को छोड़कर, एंटीगुआ और बारबुडा के प्रत्यर्पण अधिनियम, 1993 (1993 का 12) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत को 2001 के कानूनी दस्तावेज सं. 34 दिनांक 17 सितंबर, 2001 द्वारा राष्ट्रमंडल देश के रूप में नामित किए जाने की अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. टी-413/35/2018]

अमृत लुगुन, संयुक्त सचिव(सीपीवी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 3rd August, 2018

S. O. 3871(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the Extradition Act, 1962, other than Chapter III, shall apply with respect to Antigua and Barbuda with effect from the date of notifying India as a Designated Commonwealth Country under the provisions of the Extradition Act, 1993 (12 of 1993) of Antigua and Barbuda, by Statutory Instrument No. 34 of 2001 dated the 17th September, 2001.

[F. No. T-413/35/2018]

AMRIT LUGUN, Jt. Secy. (CPV)

4584GI/2018